(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

जी. संख्या 226 **नई दिल्ली** **27 नवबंर, 2009**

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वां) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, मुरगाँव पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं.टीएएमपी/47/2005-एमओपीटी

आदेश

(अक्टूबर 2009 के 23 वें दिन पारित)

मुरगाँव पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान को दिनांक 30 अक्टूबर 2006 के आदेश के द्वारा 31 मार्च 2009 तक निर्धारित किया था। इस प्राधिकरण दिनांक 28 जुलाई 2009 के आदेश के द्वारा 31 अक्टूबर 2009 वैधतावाली अवधि तक विस्तारित किया था जो दिनांक 22 अगस्त 2009 के अधिसूचना संख्या 156 के द्वारा भारत का राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

2. एमओपीटी ने प्रशुल्क के सामान्य संशोधन करने हेतु प्रस्ताव दाखिल कर चुका है। प्रस्ताव पर प्राधिकरण के द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचनाएँ/स्पष्टीकरण पत्तन प्रस्तुत कर चुका है।

3. संयुक्त सुनवाई परामर्शत्मक प्रक्रिया के रूप में गठन किया गया है। यधपि संयुक्त सुनवाई के उपरांत मामला को विश्लेषण एवं सूक्ष्म परीक्षण के लिए और प्राधिकरण के द्वारा अंतिम निर्णय देने के लिए अभी और कुछ समय लेगा।

4. चूँकि प्रचलित दरमान की वैधता 31 अक्टूबर 2009 को समाप्त होती है, यह प्राधिकरण एमओपीटी के प्रचलित दरमान को 31 दिसंबर 2009 तक विस्तारित करता है या एमओपीटी के प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव पर पारित ओदश की कार्यान्वयन के प्रभावी तिथि तक, इसमे से जो भी पहले हो।

5. यदि इसके निष्पादन के दौरान 1 अप्रैल 2009 के बादवाली अवधि मे स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किये जानेवाले प्रशुल्क मे पूर्ण रूपेण समायोजित किया जायेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष